कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक / 288 / स्था. / अराज. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2014 भोपाल दिनांक 26/9/2014

/ / आदेश / /

व्यवसायिक परीक्षा मण्डल से चयनित निम्नलिखित उम्मीदवारों को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (सिविल) के पद पर वेतन बैंड पी.बी.–2 वेतनमान 9300–34800+ग्रेड पे 3200/– एवं शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत मँहगाई भत्तों पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त कर सरल क्रमांक–3 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है :–

क्र	व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति उपरान्त पदस्थापना	श्रेणी / प्रावीण्य सूची क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री पुनालाल कारपे पिता श्री कुम्मत सिंह ग्राम भाभरखरी पोस्ट बेगापिपरिया लखनादौन सिवनी – 480888	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी नर्मदा परियोजना उपखंड क्रमांक–3 भोपाल	अनुसूचित जनजाति ओपन–37
2.	कुमारी सुमित्रा उईके पिता श्री मेघचन्द्र उइके वार्ड नं.– 09 उकवा बैहर जिला बालाघाट – 481105	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड मण्डला	अनुसूचित जनजाति महिला–27
3.	श्री बलराम सिंह पन्द्रे पिता श्री मंगल सिंह पन्द्र कंजई, पोस्ट कंजई तहसील लालबर्रा, जिला बालाघाट – 481441	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड बुरहानपुर	अनुसूचित जनजाति ओपन–53

यह नियुक्तियॉ निम्न शर्तो के अधीन होगी :–

(1) उपरोक्त नियुक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा जारी चयन सूची के वरिष्ठता क्रम के अनुसार रहेगी , जो पृथक से निर्धारित की जाएगी ।

(2) मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी / अर्द्वस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहित नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाऍ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर

समाप्त की जा सकेगी । संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तो के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू–राजस्व की बकाया की भॉति वसूली योग्य होगी ।

(3) उक्त नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर होगी ।

(4) अभ्यर्थी को दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्वांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा । उसे समय–समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षाएँ उत्तीर्ण करना होगी ।

(5) उक्त अभ्यर्थियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम – 1976 के अध्यधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्यधीन रहेंगे ।

(6) यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है । यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के आयोग्य पाए जाते है तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी ।

(7) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा ।

(8) चयनित प्रत्याशी को एक माह में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा उसकी नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।

(9) चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/ संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा और परीक्षा संबंधी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण करने नही दिया जायेगा ।

(10) चयनित प्रत्याशी की पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा ।

(11) यह नियुक्ति म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2005 के अधीन रहेगी ।

(12) कार्यभार ग्रहण करते समय, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करें ।

इन नियुक्तियों में मध्यप्रदेश लोक सेवा सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछडे वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (कमांक–21 सन 1994) का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उक्त अधिनियम की धार 6 (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है ।

(एन.के.सेहरा)
प्रमुख अभियंता